पत्रांक 10 / न 4–53 / 2011..511...

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

दशरथ राम
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक 30/06/2011..........

विषय : **सुभाष इंटरनेशनल स्कूल, मेडिकल कसथुआ रोड, औरवां टोला, किशुनपुरा, गया को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या–238 दिनांक–03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, **गया** से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा **सुभाष इंटरनेशनल स्कूल, मेडिकल कसथुआ रोड, औरवां टोला, किशुनपुरा, गया** को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :–

1. यह विद्यालय **नेताजी सुभाषचन्द्र बोस एजुकेशनल सोसायटी** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति / परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी / न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को **2 एकड़ 18 डिसमिल भूमि** 50 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चत करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाऐं बोर्ड के मानक के अनुरूप है।

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में **14** शिक्षक हैं। सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चत करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्ते स्वीकार है।

P.T.O

अपेक्षित शर्त्तें के अनुसार :-

(i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निः शुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय 2,00,000/- रूपया प्रतिवर्ष कम होगा को रखा गया है।

(ii) विद्यायल में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्त्तो के आधार पर **सुभाष इंटरनेशनल स्कूल, मेडिकल कसथुआ रोड, औरवां टोला, किशुनपुरा, गया** को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी **गया** का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

ह0/

(दशरथ राम)

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक.................... दिनांक....................

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी **गया** को उनके पत्रांक 980 दिनांक 03.06.11 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक 511 दिनांक 30/06/2011

प्रतिलिपि : प्राचार्य, **सुभाष इंटरनेशनल स्कूल, मेडिकल कसथुआ रोड, औरवां टोला, किशुनपुरा, गया** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.6.11

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

कार्यालय–जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया।

पत्रांक 980

प्रेषक,

बी0के0 ओझा

जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया।

सेवा में,

विशेष निदेशक (मा0शि0)

मानव संसाधन विकास विभाग, पटना।

गया, दिनांक 03/06/2011

विषय :– सुभाष इन्टरनेशनल स्कूल, गया को सी0बी0एस0ई0 सम्बद्धता हेतु आवेदन–पत्र का अग्रसारण के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सुभाष इन्टरनेशनल स्कूल, गया का सी0बी0एस0ई0 सम्बद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु दिनांक 03.06.2011 के पूर्वाह्न में विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया। यह विद्यालय गया शहर से छः किमी0 मगध मेडिकल कॉलेज के पश्चिम मेडिकल कसथुआ रोड में औरवाँ टोला किशुनपुरा पंचायत में है, जिसका डाकघर पाण्डेय परसावाँ है। भवन निर्माण फिनिशिंग लेवल में है। विद्यालय में निचले तल्ले में 20×25 का कुल 09 कमरे है, द्वितीय तल्ले में 30×25 का 02 कमरा एवं 50×30 का एक सेमिनार हॉल है।

(1) विद्यालय का संचालन नेताजी सुभाष चन्द्रबोस एजुकेशनल सोसाइटी, गया द्वारा होगा। यह सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा रजिस्टर्ड है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का नाम एवं पता की सूची संलग्न है।

(2) संस्था द्वारा विद्यालय खोलने हेतु 2.18 डी0 जमीन लीज पर लिया गया है। यह किरायानामा लीज अवधि 50 वर्षों के लिए है।

(3) यह विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसाइटी या न्यास के फ्रेंचायजी के रूप में स्थापित नहीं है। विद्यालय किसी अन्य सोसायटी ट्रस्ट संस्था द्वारा संचालित विद्यालय के ब्रॉड/नाम का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, ऐसा शपथ–पत्र दिया गया है।

(4) बताया गया कि शिक्षक योग्यता/प्रतिशक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) मापदंड़ों के अनुरूप होगा तथा इसकी नियुक्ति समाचार–पत्रों में विज्ञापन निकाल कर विहित प्रक्रिया से किया जायेगा।

(5) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जायेगा ऐसा शपथ–पत्र दिया गया है।

(6) विद्यालय द्वारा निर्धारित ट्यूशन शुल्क अन्य प्रकार का शुल्क वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सत्र चालू होने के पूर्व सार्वजनिक किया जायेगा अर्थात् सूचना पट पर निकाला जायेगा तथा शिक्षक–अभिभावकों की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा, ऐसा शपथ–पत्र दिया गया है।

विद्यालय प्रबंधन द्वारा ऐसा शपथ–पत्र दिया गया है कि विद्यालय संचालन के क्रम में अपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन अनापत्ति प्रमाण–पत्र मिलने के उपरांत किया जायेगा।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु मूल आवेदन–पत्र अग्रसारित किया जाता है।

विश्वासभाजन

03/06/11

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

03/06/11 गया।